संख्या-39/2023/ /001-681-23-12-2023-1263-भूमि-2013

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ : दिनांक 24 मई, 2023

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजना के अन्तर्गत भूमि अध्याप्ति हेतु आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, इण्डो-नेपाल बार्डर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-4314/सीई-एचक्यू1/आईएनबी/इण्डो/2023-24, दिनांक 11.05.2023,सं0-3934/सीई-एचक्यू1/आईएनबी/इण्डो/2023-24, दिनांक 27.04.2023 तथा सं0-3801/सीई-एचक्यू1/आईएनबी/ इण्डो/ 2023-24, दिनांक 24.04.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजना अन्तर्गत 03 चालू कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 504.00 लाख (रू0 पांच करोड़ चार लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	खण्ड का नाम	शासनादेश संख्या	संशोधित स्वीकृत लागत (रू0 लाख में)	प्रावैधिक स्वीकृत लागत (रू0 लाख में)	कार्यों की लागत में बचत	प्रारम्भ से 31.03.23 तक क्रमिक व्यय	01.04.23 को अवशेष धनराशि प्रावैधिक स्वीकृति के सापेक्ष	चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह अप्रैल तक व्यय	चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पूर्व में आवंटन	चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु मांग (+)	चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	इण्डो-नेपाल बार्डर परियोजना के अन्तर्गत ककरदही से तरसोमा, भरथा से गुज्जरगौरी (लं0 13.00 किमी0) जमुनहा ककरदरी भाग-ए (ल0 8.720 किमी0) तथा जमुनहा ककरदरी भाग-बी (लं0 7.235 किमी0) का आपसी समझौते के आधार पर भूमि अधिग्रहण।	नि0ख0-1 (इ0ने0बा0) श्रावस्ती	1683/23-12-2013-1263(भू0अ0)/2013 दि0 22.11.2013 एवं 34/2018/726/23-12-18-1263 (भूमि) /2013, दि0-25.05.18	2148.270	2148.270	0.000	1178.480	969.790	0.000	0.000	(+) 30.000	24.000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2	जनपद महराजगंज में इण्डो-नेपाल बार्डर के अंतर्गत खैराघाट से झुलनीपुर पतलोंवां मार्ग के निर्माण कार्य हेतु भूमि अर्जन कार्य	नि0ख0-1 (इ0ने0बा0) महराजगंज	1681/23-12-2013-1341/2013 (आर) दि0 22.11.2013 एवं 34/2018/726/23-12-18-1263 (भूमि) /2013, दि0-25.05.2018	18009.450	18009.450	0.000	15670.510	2338.940	0.000	0.000	(+) 300.000	240.000
3	रूपईडिहा-मुंशीपुरवा से बी0पी0ओ0 समतलिया तक (वास्तविक लं0 17.96 किमी0/भूमि अध्याप्ति की वास्तविक लंबाई 16.110) तक, लम्बी फारेस्ट बलई गांव से चितलहवां तक (लं0 16.80 किमी0) वन्य जीव क्षेत्र के बीच पड़ने वाली राजस्व भूमि (लंबाई 7.095 किमी0) एवं कुल लंबाई 40.005 किमी0 का भूमि अधिग्रहण का कार्य (61388)	नि0ख0-3 (इ0ने0बा0) बहराईच	1682/23-12-2013-1291/2013 (आर) दि0 22.11.2013 एवं 34/18/726/23-12-18-1263 (भूमि) /2013, दि0-25.05.2018	3674.740	3674.740	0.000	1519.710	2155.030	0.000	0.000	(+) 300.000	240.000
										योग	630.00	504.00

(1) अवमुक्त धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/ डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) अवमुक्त धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि द्विरावृत्ति न हो।

(4) प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(5) वित्त विभाग द्वारा वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किए जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) उक्त कार्यों के स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी, जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) आवंटित की जा रही धनराशि का उपभोग शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या-58 के ''लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा सड़कों-337-सड़क निर्माण कार्य-06-इण्डो नेपाल बार्डर पर प्रस्तावित मार्ग के भूमि अध्याप्ति हेतु व्यवस्था-00-60-भूमि क्रय'' मद के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

सं0-39/2023/ /001-681-23-12-2023-1263-भूमि-2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 लोक निर्माण मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. जिलाधिकारी, बहराइच, श्रावस्ती (भिनगा), सिद्धार्थनगर एवं महराजगंज।
5. प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता(मु0-1)/ इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग परियोजना, लो0नि0वि0, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
8. लोक निर्माण अनु0-10
9. वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1
10. डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, नवीन भवन सचिवालय, लखनऊ।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in